राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–223 / 2023

राजीव जैन

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.01.2023
आदेश की दिनांक : 03.05.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री हिमांशु जैन, अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुमेर सिंह बड़सरा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी की ओर से अभिकथन किया गया है कि विधि–विरूद्ध तरीके से आदेश दिनांक 10.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी को पदस्थापन आदेश की प्रतिक्षा में रखा गया है। अपीलार्थी ने यह भी तथ्य अंकित किया है कि अपीलार्थी, जो अधिशाषी अभियंता के पद पर कार्यरत था। उनका स्थानांतरण खण्ड बून्दी से खण्ड बस्सी में आदेश दिनांक 29.06.2022 के द्वारा किया गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने पदभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग ने एक अन्य आदेश दिनांक 10. 01.2023 पारित किया, जिसके द्वारा निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण अपीलार्थी के स्थान पर खंड बस्सी में किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी को पदस्थापन आदेश की प्रतिक्षा में रखा गया। इसके पश्चात् आदेश दिनांक 14.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण मुख्य अभियंता कार्यालय जयपुर में किया गया। अपीलार्थी का स्थानांतरण राजनैतिक दखलअंदाजी के कारण किया गया है, जो अनुचित एवं विधि–विरूद्ध है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण गोपाल मीणा, विधायक जमुवा रामगढ, के निर्देशन में किया गया है। गोपाल मीणा, विधायक ने एक पत्र दिनांक

31.12.2022 को सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री को दिया था, जिसके आधार पर अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त आधार प्रस्तुत किये जाने पर अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 19.01.2023 को अंतरिम आदेश दिया गया। जिसमें आलौच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि आदेश दिनांक 10.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन कहीं नहीं किया गया, इस प्रकार से अपीलार्थी एपीओ हो गया। अपीलार्थी को एपीओ में मुख्य अभियंता एवं अति. सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग में उपस्थिति देनी चाहिये थी, मगर अपीलार्थी ने ए.पी.ओ. में उपस्थिति नहीं दी। इसके बाद राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14–01–2023 के द्वारा अपीलार्थी का ए.पी.ओ. से पदस्थापन कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जयपुर में किया गया। अपीलार्थी ने राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14–01–2023 के विरूद्ध वर्तमान अपील पेश कर माननीय अधिकरण से आदेश दिनांक 19–01–2023 द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 14–01–2023 पर स्थगन प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14–01–2023 पर मा. अधिकरण द्वारा स्थगन दिये जाने के कारण अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09–02–2023 के द्वारा के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा करने एवं मुख्य अभियन्ता एवं अति सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में उपस्थिति दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उनका यह भी कथन है कि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से किया जाता है तो वह उचित है।

3. निजी प्रत्यर्थी की ओर से पृथक् से जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने कथन किया है कि अपीलार्थी ने श्री गोपाल मीणा, विधायक द्वारा अपीलार्थी के संबंध में स्थानांतरण के लिए पत्र दिनांक 31.12.2022 बताया गया है, जो अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है, जबकि पत्र कभी भी

नहीं भेजा गया है। उनका यह भी कथन रहा है कि श्री गोपाल मीणा, विधायक को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। ऐसे में अपीलार्थी पोषनीय नहीं है। निजी प्रत्यर्थी की ओर से यह भी अंकित किया गया है कि श्री गोपाल मीणा, विधायक द्वारा पत्र दिनांक 29.12.2022 (अनुलग्नक–आर3/1) भी लिखा गया है, जिसमें अपीलार्थी को उक्त पद पर रखे जाने की अनुशंसा की गई है। निजी प्रत्यर्थी का यह भी कथन है कि श्री गोपाल मीणा, विधायक ने एक बार अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखे जाने का पत्र लिखा था, तो दूसरा पत्र नहीं लिखा जा सकता था।

4. हमनें पक्षकारों द्वारा किये गए अभिवचनों एवं तर्कों को सुना एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अपीलार्थी की मुख्य रूप से यह आपत्ति रही है कि श्री गोपाल मीणा, विधायक द्वारा पत्र दिनांक 31.12.2022 (अनुलग्नक–3) लिखे जाने के आधार पर अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। हमारे द्वारा श्री गोपाल मीणा, विधायक द्वारा लिखा गया पत्र दिनांक 31.12.2022 (अनुलग्नक–3) का अवलोकन किया गया। इसमें यह प्रकट होता है कि श्री गोपाल मीणा, विधायक द्वारा अपीलार्थी का अन्यत्र स्थानांतरण करने के लिए कठित रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री को लिखा गया है। निजी प्रत्यर्थी की ओर से एक अन्य पत्र (अनुलग्नक–आर3/1) प्रस्तुत किया गया है, जो भी श्री गोपाल मीणा, विधायक द्वारा लिखा जाना बताया गया है। उक्त पत्र में श्री गोपाल मीणा, विधायक द्वारा अपीलार्थी को यथावत उसी स्थान पर रखे जाने की अनुशंसा की गई है। ऐसे में यह प्रकट होता है कि श्री गोपाल मीणा, विधायक द्वारा एक पत्र में अपीलार्थी का वहीं कार्यरत रखे जाने की अनुशंसा की गई है और दूसरी पत्र में अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने की अनुशंसा की गई है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि श्री गोपाल मीणा, विधायक ने एक बार अपीलार्थी को उसी स्थान पर रखने की अनुशंसा की थी तो तीन दिन बाद ही दूसरे पत्र में उनका स्थानांतरण करने के लिए क्यों लिखा। यह भी प्रकट नहीं होता है कि पत्र दिनांक 31.12.2022 (अनुलग्नक–3), जो अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है, वो वास्तव में विभाग को प्राप्त हुआ है कि नहीं। यह भी प्रकट नहीं

होता है कि इस पत्र के आधार पर अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। अतः यह प्रकट नहीं हेाता है कि अपीलार्थी का राजनैतिक कारणों से स्थानांतरण किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग को यह विवेकाधिकार है कि वो अपने किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए किसी भी स्थान पर कर सकता है। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वो यह निर्णय ले सके कि वह अपने किस कर्मचारी की सेवाएं किस स्थान पर लेना है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी के स्थानांतरण में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है। इस अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.01.2023 निरस्त माना जाएगा।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)